न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

बन्शी बनाम रतन

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 175 / 2024

09.07.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 271 आराजी खसरा संख्या 1485 / 0.2000, 1487 / 0.1500, 1510 / 0.0300 हैक्टेयर वाके ग्राम भानगढ तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी से वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें ना ही वादी को जबरन बेदखल कर अपना जबरन कब्जा ना करें। उक्त आराजी की तारबन्दी को ना हटावें। अन्त में विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति यथावत् बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त वर्णित विवादित आराजी मिन वादी का बरोज खरीद से आज तक कब्जा बिना किसी रोक टोक चला आ रहा है। विवादित आराजी मिन वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि हाल आराजी खाता संख्या 271 आराजी खसरा संख्या 1485 / 0.2000, 1487 / 0.1500, 1510 / 0.0300 हैक्टेयर वाके ग्राम भानगढ तहसील टहला जिला अलवर में आगामी आदेशों तक उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। साथ ही कब्जे में बिना सक्षम आदेश के किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे।इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 16.08.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

15/8/24

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 03/9/24 को पेश हो।

रीडर

अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	धन्नो / रतन 2/175/2024	
	20/10/25 पत्रावली पेश। प्रति मुलाहिजा OGRS / Non-Compliance में दाखिल किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र की कार्यवाही भी इसी स्तर पर बंद की जाकर OGRS के तहत पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली बाद पूर्ति नक्शा के बाद दाखिल संलग्न मुलाहिजा हो। SDO	